

## मंत्री को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्तियाँ

### प्रलिस के लयः

मंत्री को बर्खास्त करने की [राज्यपाल की शक्तियाँ](#), अनुच्छेद 164, भारत सरकार अधनियम, 1935 की धारा 51(1) और 51(5), प्लेजर डॉक्ट्रनि

### मेन्स के लयः

मंत्री को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्तियाँ

## चर्चा में क्यों?

तमलिनाडु में [राज्यपाल](#) द्वारा एक मंत्री को बर्खास्त तथा नलिंबति कयि जाने के हालयि नरिणय ने [संवैधानकि वविाद](#) को जन्म दयि है। हालाँकि बाद में राज्यपाल ने अपना नरिणय बदल दयि और बर्खास्तगी आदेश को नलिंबति कर दयि।

## मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्तियाँ:

### ■ अनुच्छेद 164:

- [संवैधान के अनुच्छेद 164](#) के तहत [मुख्यमंत्री की नयुक्ति राज्यपाल द्वारा](#) की जाती है। अन्य मंत्रियों की नयुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- इस अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल अपने वविक के अनुसार [किसी मंत्री को नयुक्त नहीं](#) कर सकता है। इसलयि राज्यपाल केवल [मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है](#)।

### ■ भारत सरकार अधनियम, 1935 का संदर्भ:

- [भारत सरकार अधनियम, 1935 की धारा 51\(1\) और 51\(5\)](#) के तहत राज्यपाल के पास औपनविशकि शासन को संचालति करने वाले मंत्रियों को चुनने और बर्खास्त करने का पूरण वविक था।
- हालाँकि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यपाल की भूमकि एक संवैधानकि प्रमुख के रूप में बदल गई, जसिका काम पूरी तरह से [मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रपरिषदि की सहायता और सलाह पर कार्य करना](#) था।

### ■ राज्यपाल के वविक पर संवैधानकि सीमाएँ:

- किसी मंत्री को चुनने अथवा बर्खास्त करने की शक्ति [मुख्यमंत्री के पास](#) होती है।
  - संवैधान सभा की बहस के दौरान बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि संवैधान के तहत राज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र कार्यकारी कार्य नहीं है।
- संवैधान के अनुच्छेद 164 में ["राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता"](#) का समावेश केवल [मुख्यमंत्री की सलाह पर बर्खास्तगी आदेश जारी करने के औपचारकि कार्य को संदर्भति करता है](#)।

**नोट:** प्रसादपर्यंत के सिद्धांत को भारत सरकार अधनियम, 1935 द्वारा भारतीय संवैधान में शामिल कयि गया है। [भारत सरकार अधनियम, 1935 की धारा 51](#) राज्यपाल को [मंत्रियों का चयन करने के साथ-साथ बर्खास्त करने का वविकाधिकार प्रदान](#) करती है। लेकि संवैधान के अनुच्छेद 164 का [मसौदा तैयार कयि जाने के बाद "चयनति", "बर्खास्तगी" और "वविक" शब्द हटा दयि गए](#)। यह एक अहम कदम था जसिने यह स्पष्ट कयि कि संवैधान राज्यपाल को [किसी मंत्री को चुनने अथवा बर्खास्त करने का कोई वविकाधिकार नहीं देता है](#)।

## राज्यपाल की शक्तियों का न्यायकि स्पष्टीकरण:

### ■ शमशेर सहि और अन्य बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1974):

- उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जनिके पास संवैधान के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियाँ हैं, को कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर अपनी औपचारकि संवैधानकि शक्तियों का प्रयोग केवल अपने मंत्रियों की सलाह से करना चाहयि।

■ **नबाम रेबिया बनाम डपिटी स्पीकर (वर्ष 2015):**

- उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि **राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के पतन का कारण नहीं बन सकते** । इसने शमशेर सहि मामले में पछिले फैसले की पुष्टि की और इस बात पर ज़ोर दिया कि **राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियाँ अनुच्छेद 163(1) के प्रावधानों तक सीमति हैं** ।
- अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, **राज्यपाल को अपने कर्तव्यों के पालन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रपरिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाएगी**, सविय इसके कविह इस संवधान के अनुसार अपने कर्तव्यों या उनमें से कसिी का पालन करने के लयि बाध्य है ।

**कसिी मंत्री की बरखास्तगी के मुद्दे से संबंधति चतिाएँ:**

■ **संवैधानकि दुस्साहस:**

- कसिी मंत्री को **हटाना नैतिकि नरिणय का मामला है, कानूनी आवश्यकता का नहीं** । मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बनिा कसिी मंत्री को बरखास्त करने का राज्यपाल का नरिणय एक **संवैधानकि दुस्साहस** है ।

■ **गलत मसाल कायम करता है:**

- राज्य के मुख्यमंत्री की सफिराशि के बनिा कसिी सरकार के मंत्री को बरखास्त करने का यह अभूतपूर्व और जान-बूझकर उकसाने वाला कृत्य एक मसाल कायम कर सकता है, साथ ही यह **संघीय व्यवस्था को खतरे में डालकर राज्य सरकारों को अस्थरि करने की क्षमता** रखता है ।

■ **संवैधानकि व्यवस्था का पतन:**

- यदिराज्यपालों को **मुख्यमंत्री की जानकारी और अनुशंसा के बनिा व्यक्तगित तौर पर मंत्रियों को बरखास्त करने** की शक्तिका प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है, तब पूरी संवैधानकि व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी ।

**नषिकर्ष:**

- एक वधिानमंडल को राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लयि स्पष्ट दशिा-नरिदेश स्थापति करने चाहयि ।
- भारत में संसदीय लोकतंत्र के रूप में संसद के अधिकार का सम्मान कयिा जाना चाहयि, लोकतांत्रिकि रूप से नरिवाचति राज्य वधिानमंडल की भी समान भूमकिा और महत्त्व होना चाहयि ।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

**???????????????? ?????:**

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी कसिी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधरिपति करने के लयि रपिर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नयुक्ति करना
3. राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

**?????:**

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दल्लिी के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनैतिकि कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि । (2018)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधिायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि । वधिायकिा के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अधयादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि । (2022)

**स्रोत: द हदि**

